

**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उ०प्र०-चन्दौली।**

पत्रांक / मान्यता / 7809 / 12 / 2017-18

दिनांक- 31 मार्च 2018

प्रबन्धक,

सेठ एम०आर० जयपुरिया स्कूल,  
बनारस पड़ाव मुगलसराय रोड  
झाड़ी चन्दौली।

**विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।**

सहोदय / सहोदया,

आपके तारीख 18.07.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचानवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सेठ एम०आर० जयपुरिया स्कूल बनारस पड़ाव मुगलसराय रोड झाड़ी चन्दौली को तारीख 01.04.2018 से तारीख 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के अंग्रेजी माध्यम के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देगा हूँ।

उपरोक्त नर्सरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने पर अध्यापीन है -

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में अक्षा 5 के पर्यन्त मान्यता / संरक्षण करने के लिए कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से (या यथार्थार्थ नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या 25 प्रतिशत तक आस-पास के कमजोर वर्ग और सुविधा-विहीन समूह के बालकों का प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसका पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पुथक बैंक खोलना रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कीपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यापीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह में होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
  - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यापीन नहीं किया जाएगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियत/परत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यार्थी अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिगत करेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन प्रियायकता में नियमित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों से आगे पर वात्पक्रम का पालन करेगा।

for more...

Seth M.R. Jaipuria Schools Banaras

**Manoj Kumar**  
Manager

Seth M.R. Jaipuria Schools Banaras

**Asan**

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मांगों और सविनय का बनाए रखना।  
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसूतिधाएं निम्नानुसार हैं -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-	124425 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्र	-	29500 वर्ग फीट
ज़ोना-स्थल पर क्षेत्रफल	-	उपलब्ध है।
भूसाजों की संख्या	-	15
प्रासादिक-सह कार्यालय-सह-भाड़ाघर के लिए ज़रा	-	उपलब्ध है।
मालक और वारिकों/आ के लिए पृथक शौचालय	-	उपलब्ध है।
पथजल सुविधा	-	हेण्डपंप है।
मिड-डे-मील योजना के लिए रसाई	-	है।
वाफारहित पहुँच	-	है।
आयुष्यक महान सामग्री/ज़ोना खेलकूद उपकरण/पुरतकालय की उपलब्धता	-	उपलब्धता है।

9. विद्यालयों में परिसरों में भीतर या उससे बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या ज़ोना-स्थल पर प्रयोग केवल शिक्षा और कक्षाएँ विद्यालय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को संसाधनों संचितकरण अधिनियम 1869 (1869 में 21) के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाएगा। इस या तदनुसार प्रत्येक विद्यालय के अन्तर्गत किसी भी तरह का भवन बनाया जा सकता है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्ति के समूह या समान या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के लिये कक्षाएँ चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी भी अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसका द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. अपने विद्यालय को अवैधित मान्यता कोड संख्याकई-23/2017-18 है। इसका दस्तावेज़ तैयार कर ले जाए इस कार्यालय के साथ किसी प्रकार के लिए इस सहायक का उत्तर देकर।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के इस अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संगठनों द्वारा के तहत अनुपातन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।

16. संसाधनों के संचितकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, का सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपायों के अनुसार अन्य कोई बातें।

(i) सलाह निष्कर्षों तैयार कर छ. माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(ii) N.B.C. का प्रमाण पत्र प्रथम तल के लिए J.E स्तर के अधिकारी एक द्वितीय तल के लिए A.E स्तर के अधिकारी का निर्धारित सत्यापन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(iii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अभिज्ञान प्रमाण पत्र अद्यतन का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
बनारस।

90830/मान्यता/ /2017-18 तदनुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सेवा में सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सहायक शिक्षा निदेशक (वि.) प्रथम मण्डल, वाराणसी।
- 2- खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुवाद को इस अवसर से कि सम्बन्धित विद्यालय का एक बार पुनः अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर ले तथा यह सुनिश्चित हो ले कि खाली में विद्यालय के नाम अंकित भूमि पर निर्मित भवन/किरायेनामा में उल्लिखित स्थान पर ही विद्यालय सम्मिलित हो रहा है तथा एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता की जांच करते हुए अभिज्ञान प्रमाण पत्र अद्यतन का प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3- माई फाइल।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
बनारस।

Seth M.R. Jaipuria Schools Banaras

Manoj Kumar  
Manager

Seth M.R. Jaipuria Schools Banaras

*(Handwritten signature)*